

प्ररूप 2 (नियम 11 (4) दीर्घर)

विद्या का अधिकारी
विद्या का अधिकारी

कार्यालय, जिला शिक्षा अधिकारी (DAMOH), मध्यप्रदेश

दरभाष:-

फैक्ट्स:-

ई-मेल:-

क्रमांक/स्कूल आई.डी. :- 12070178/25217
प्रति,

दिनांक:- 01/05/2017

प्रबंधक,

(ST. JOHNS SR. SEC. SCHOOL, DAMOH)

विवर: निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2010 के नियम 11 के उपनियम (4) के अधीन स्कूल मान्यता प्रमाण पत्र
महोदय/महोदया,

आपके आवेदन पत्र दिनांक 01/01/1900 तथा इस संबंध में स्कूल से पश्चातवर्ती पत्र हवाहार/ जिरीकण के संदर्भ में, मैं आप स्कूल - ST. JOHNS SR. SEC. SCHOOL, DAMOH, JABALPUR NAKA, DAMOH को कक्षा Nursery से कक्षा 8th तक के लिए दिनांक 01/04/2017 से 31/03/2020 तक काल वधि के लिए मान्यता प्रदान करता हूँ।

सरकारी स्कूल सुनियति विस्तारित शर्तों की पृष्ठे से अद्यतन होगी।-

- साम्यता विस्तारित नहीं होगी तथा कक्षा 8 से आगे की मान्यता/सदृढ़ता की कोई वाध्यता किसी भी रूप से लिंगिकता नहीं होगी।
- निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (उपांध 1) तथा निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2010 (उपांध 2) के उपर्युक्त काल वधि के लिए मान्यता प्रदान करेगा।
- स्कूल, अपने पड़ोस की सीमा के बाहिर तस्वीर तस्वीर का बालकों को कक्षा 1 से न्यूनतम प्रतिशत पवेश देगा। उस दशा में, यदि यहां साहायता प्राप्त स्कूल है तो इसमें प्रवेशित बालकों को उस अनुसार मैं निःशुल्क और अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा देगा जिस रूप में उसके बाहिर आवार्ती व्यय को पूरा करने हेतु इस ग्राहक वार्षिक आवार्ती सहायता या अनुदान प्राप्त होता है किंतु यह न्यूनतम प्रतिशत के अंतर्गत बच्चों कि जहां स्कूल पूर्व स्कूल (पि-स्कूल) शिक्षा थी जाती है वहां अधिनियम की धारा 12 की उपर्युक्त (1) के अधिकार (1) में लाइनर पि-स्कूल से प्रवेश के लिए लागू होगी।
- धारा 3 में निर्दिष्ट बालकों के लिए स्कूल को अधिनियम की धारा 12 (2) के अनुसार व्यय की प्रतिपूर्ति की जाएगी तथा ऐसी प्रतिपूर्ति प्राप्त के लिए स्कूल को पृथक् से बैंक खाता उपलब्ध कराना होगा।
- सोसाइटी/स्कूल कोई भी लैंपिटेशन की संग्रह नहीं करेगा तथा बालक या उसके पालक या अधिकारी के साथ किसी लानी/मालीगा नहीं अपनाएगा।
- स्कूल किसी भी बालक को प्रवेश देने से इकार नहीं करेगा।
 - (क) आगु के सदृढ़त के आवार में;
 - (ख) यदि प्रवेश के लिए विहित की गई विस्तारित कालावधि के पश्चात् ऐसा पवेश चाहा गया है;
 - (ग) धर्म, जाति, या मूल रूप, जन्मस्थान या इनमें से किसी भी आधार पर।
- स्कूल सुनियति करेगा-
 - किसी स्कूल में प्रारंभिक छिंसा पूर्ण होने तक किसी भी बालक को किसी कक्षा में रोका या सुनियत नहीं किया जाएगा।
 - किसी बालक को आरोपित या मानसिक रूप से प्रताड़ित नहीं किया जाएगा;
 - प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण होने तक बालक को कोई बोडी परीदा उत्तीर्ण करने की आवश्यकता नहीं होगी;
 - नियम 19 के अधीन प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करने वाले प्रत्येक बालक को प्रमाण पत्र दिया जाएगा;
 - अधिनियम के उपर्युक्त के अनुसार निःशुल्क व्ययाता अनुसार शिक्षकों की भर्ती नहीं जाएगी; यदि यहां कि वर्तमान में कार्यालय निःशुल्क व्ययाता अनुसार प्राप्त करनी होती है, उन्हें अधिनियम के प्रारंभ होने के दिनांक से 5 वर्ष की अंदरी में निःशुल्क व्ययाता अनुसार प्राप्त करनी होगी;
 - शिक्षकों के अधिनियम की धारा 24(1) के अधीन विनियोग कर्तव्यों का संतुलन करना होगा।
 - प्रायवैट टीचिंग की गतिविधियों में शिक्षक व्यवस्थे आग नहीं लेंगे/लेनगी।
- स्कूल समुचित प्रारंभिक द्वारा निर्धारित पाठ्यरचना का अनुसारण करेगा।
- अधिनियम की धारा 19 से विहित केए अनुसार स्कूल में उपलब्ध सुविधा के अनुप्राप्त में स्कूल में उच्चों का नामांकन किया जाएगा।

- स्कूल व्यापार अधिनियम की धारा 19 वें विनिर्दिष्ट स्कूल के मानक एवं मापदण्ड बनाए रखे जाएंगे। अधिनियम के समय स्कूल में उपलब्ध सुविधाएं निम्नानुसार मार्फत गयीं-

सुविधाएं	पोर्टल में दर्ज	वास्तविक स्थिति
स्कूल के मर्तन की स्थिति	समय का मर्तन	समय का भरत
स्कूल का कुल क्षेत्रफल (वर्ग फीट में)	43157	43157
स्कूल का निश्चित क्षेत्रफल (वर्ग फीट में)	23614	23614
छोल मैट्रान का क्षेत्रफल (वर्ग फीट में)	77700	77700


अधोसंरचना का विवरण


कक्ष	Rooms as per RTE	पोर्टल में दर्ज			वास्तविक स्थिति
		संख्या	औसत आकार (वर्ग फीट में)	संख्या	औसत आकार (वर्ग फीट में)
1	कक्षा आठवीं तक उपयोग में आ रहे कक्षा कक्ष	33	412	33	412
2	वार्षिक बढ़ा-सह-भण्डार कक्ष-साह-पाठ्याध्यापक कक्ष	3	412	3	412
3	ओजनालय-सह-भण्डार	0	0	0	0

अन्य सुविधाएं

	पोर्टल में दर्ज	वास्तविक स्थिति
1. व्यापारी सुविधाओं तक पहुंच बाधा रहत है? हाँ/नहीं	हाँ	हाँ
2. पठन पाठन सामग्री (हस्ताक्षरित संघी उपलोड करे)	हाँ	हाँ
3. खोलकूट एवं ढेल उपकरण (हस्ताक्षरित दृश्य अपलोड करे)	हाँ	हाँ
4. पुस्तकों की संख्या	5900	5900
5. परिकार/समाचार पत्र	6	6
6. पायजल सुविधा आ पक्कार	Pipe Water	Pipe Water
7. पायजल सुविधा की संख्या	36	36
8. शौचालय जा प्रकार (भारतीय/परिमो/मही)	Indian	Indian
9. लड़कों के लिए पृथक शौचालयों की संख्या	12	12
10. लड़कियों के लिए पृथक शौचालयों की संख्या	12	12
11. विकलांग वर्गीयों के लिए उपयुक्त शौचालयों की संख्या	0	0
12. क्या अनिन्य सूखा प्रणाली उपलब्ध है? हाँ/नहीं	हाँ	हाँ

- वेखे संस्कृति किए जाएंगे तथा घाटड एक्स्ट्राइट व्यापार संस्थापित होगे और उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार होगा। प्रत्येक लेखाओं के विवरणों की एक प्रस्तुति प्रतिवर्ष जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा समय-समय पर अपेक्षित की जाए, और स्कूल राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे अनुदेशों का वालन करेगा, जैसा कि स्कूल के लियालन की कमियों को दूर करने के लिए अथवा मान्यता की शर्तों की विस्तृत पृष्ठि सुनिश्चित करने हेतु जारी किए जाएं।
- आपकी स्कूल का मान्यता कोड नम्बर 12070178.. एवं डाइस्कोड (DISE) 23120301103 है। इस कार्यालय के साथ पत्राचार में यह कोड नम्बर संदर्भित किए जाएं।
- ऐसी रिपोर्ट और जानकारी स्कूल व्यापार प्रस्तुत की जाएगी, जो राज्य शिक्षा केन्द्रजिला शिक्षा अधिकारी द्वारा समय-समय पर अपेक्षित की जाए, और स्कूल राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे अनुदेशों का वालन करेगा, जैसा कि स्कूल के लियालन की कमियों को दूर करने के लिए अथवा मान्यता की शर्तों की विस्तृत पृष्ठि सुनिश्चित करने हेतु जारी किए जाएं।
- सोसायटी/नियास, यदि कोई हो, के पंजीयन का नवीकरण किया जाएगा।
- अन्य शर्तें सलग उपर्युक्त "तीत" के अनुसार होंगी।
- अधिनियम एवं नियम के उपर्युक्त और मान्यता की शर्तों का उल्लंघन पाए जाने तथा तिद्द हो जाने पर मान्यता वापस ले ली जाएगी।


 जिला शिक्षा अधिकारी
 जिला DAMOH
 मध्यप्रदेश


 PRINCIPAL
 ST. JOHN'S SR. SEC. SCHOOL
 JABALPUR NAKA, DAMOH